भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ-3-72-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3394-वि.यो. 496-नाग्रनि-2019, भोपाल दिनांक 1 सितम्बर 2020 द्वारा प्रकाशित नीमच विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार नीमच निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला नीमच मध्यप्रदेश.
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, नीमच, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, नीमच मध्यप्रदेश

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

1. अध्याय-4

4.5—आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन
1. भूमि का न्यूनमतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर
उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—
अध्याय-4
4.5—आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन
1. विलोपित
2. अध्याय-4

4.13.2 उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :—

नीमच-उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

4-सा-8

अनु. क्र.	उपयोग/ गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में.	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)
60	भूखण्डीय विकास	2.00	7.50	30-60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1)फ्रण्टेज = ले-आउट अनुसार (2) खुला क्षेत्र=10 प्रतिशत (3) सेवा=1.5 प्रतिशत.

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

अध्याय-4

4.13.2 उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :—

नीमच-उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

अनु. क्र.	उपयोग/ गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में.	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)
60	भूखण्डीय विकास	2.00	7.50	30-60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1) फ्रण्टेज = ले-आउट अनुसार (2) खुला क्षेत्र=10 प्रतिशत (3) सेवा क्षेत्र =1.5 प्रतिशत.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

सूचना

क्र. एफ-3-91-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम् (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2468-टीसी-44-उपां-2021, भोपाल दिनांक 3 जून 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित बुरहानपुर विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मोहम्मदपुरा	387	2.360	प्रस्तावित आवासीय तथा 45.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.	प्रस्तावित औद्योगिक (पावरलम कलस्टर) एवं 45.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.